त्योहार और प्राकृतिक आपदाओं के लिए खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के बारे में नीति

(i) **त्योहार आवंटन**: वर्ष के दौरान त्योहार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन किए जाने वाले खाद्यान्नों की अधिकतम मात्रा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन उनकी वार्षिक खाद्यान्न पात्रता के अधिकतम 1 प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी। तथापि, महाकुंभ और अर्धकुंभ, जिनमें सम्पूर्ण देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और विदेशी सैलानी भी इनमें भाग लेते हैं, जैसे मामलों के लिए किसी वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन उनकी वार्षिक पात्रता के अधिकतम 2 प्रतिशत तक देने पर विचार किया जाएगा।

(ii) **प्राकृतिक आपदा और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति**: प्राकृतिक आपदा और कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में मांग के 3 माह हेतु आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तत्काल किया जाएगा ताकि राहत कार्य प्रभावित न हो। तथापि, 3 माह के बाद की मांग के लिए प्रस्ताव कृषि मंत्रालय (सूखे के मामले में) और गृह मंत्रालय (सूखा से इतर प्राकृतिक आपदाओं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के मामले में) द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

(iii) **खाद्यान्नों के आवंटन की दर**: उपर्युक्त त्योहार और प्राकृतिक आपदा/कानून और व्यवस्था की स्थितियों में किए गए आवंटन मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (CCEA) के 2.1.2014 के निर्णय के अनुसार गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर और चावल न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाली गई दर पर किए जाएंगे।